


हमिचल प्रदेश के हट्टी समुदाय

केंद्र, हमिचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर राज्य में [अनुसूचित जनजातियों](#) की सूची में हट्टी समुदाय को शामिल करने पर वचिार कर रहा है।

- यह समुदाय 1967 से इस अधिकार की मांग कर रहा है, जब उत्तराखंड के जौनसार बावर इलाके (जसिकी सीमा सरिमौर ज़िले से लगती है) में रहने वाले लोगों को आदविसी का दर्जा प्रदान किया गया था।
- आदविसी दर्जे की उनकी इस मांग को वर्षों से वभिन्न महा खुंबलियों में पारति प्रस्तावों के कारण बल मला है।



हट्टी समुदाय:

- हट्टी एक घनषिठ समुदाय है, जसिे कसबों में 'हाट' नामक छोटे बाज़ारों में घरेलू सब्जियों, फसल, मांस और ऊन आदबिचने की परंपरा से यह नाम मला है।
- हट्टी समुदाय में पुरुष आमतौर पर समारोहों के दौरान एक वशिषिठ सफेद टोपी पहनते हैं, यह समुदाय सरिमौर से गरि और टोंस नामक दो नदियों द्वारा वभिजति हो जाता है।
 - टोंस इसे उत्तराखंड के जौनसार बावर कषेत्र से वभिजति करती है
- वर्ष 1815 में जौनसार बावर कषेत्र के अलग होने तक उत्तराखंड के ट्रांस-गत्रि कषेत्र और जौनसार बावर में रहने वाले हट्टी कभी सरिमौर की शाही रयिसत का हसिसा थे।
 - दोनों कुलों में **समान परंपराएँ हैं और अंतरजातीय-ववािह आम बात है।**
- हट्टी समुदायों के बीच एक कठोर जात वियवस्था है- भट और खश उच्च जातियाँ हैं, जबकबिधोई उनसे नीची जात हैं।
- अंतरजातीय ववािह अब परंपरागत रूप से सख्त नहीं रहे हैं।
- स्थलाकृतिक असुवधियों के कारण कामरौ, संगरा और शलियाई कषेत्रों में रहने वाले हट्टी शकिसा व रोजगार में पीछे रह गए हैं।
- हट्टी समुदाय खुंबली नामक एक पारंपरिक परषिद द्वारा शासति होती है, जो हरयिणा के खाप पंचायत की तरह सामुदायिक मामलों को देखती है।
- [पंचायती राज वियवस्था](#) की स्थापना के बावजूद खुंबली की शकतिको कोई चुनौती नहीं मली है।

अनुसूचित जनजाति:

- संवधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भति करता है, जो संवधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार

नरिधारति हैं ।

- अनुच्छेद 342 के अनुसार, केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से या संसद के बाद के संशोधन अधिनियम के माध्यम से ऐसा घोषित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा ।
- अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वशिष्ट है और एक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित समुदाय के लिये दूसरे राज्य में भी ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है ।
- किसी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों के रूप में नरिदष्ट करने के मानदंड के बारे में संवधान मौन है ।
 - आदमिता, भौगोलिक अलगाव, शर्म और सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पछिडापन ऐसे लक्षण हैं जो अनुसूचित जनजातिसमुदायों को अन्य समुदायों से अलग करते हैं ।
- कुछ अनुसूचित जनजातियाँ, जिनकी संख्या 75 है, को वशिष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के रूप में जाना जाता है, इनकी वशिषता है:
 - प्रौद्योगिकी पूर्व कृषि स्तर
 - स्थिर या घटती जनसंख्या
 - अत्यंत कम साक्षरता
 - अर्थव्यवस्था का नरिवाह स्तर
- **STs हेतु सरकार की पहल:**
 - [अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासी \(वन अधिकारियों की मान्यता\) अधिनियम, 2006 \(FRA\)](#)
 - [पंचायतों का परावधान \(अनुसूचित क्षेत्रों तक वसितार\) अधिनियम, 1996](#)
 - लघु वनोपज अधिनियम 2005
 - [अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों \(अत्याचार निवारण\) अधिनियम](#) और जनजातीय उप-योजना रणनीति जो कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित है ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/hattis-of-himachal-pradesh>

